देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचना:–

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1364/भू अ० **दिनांक :** 15/10/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–सतुवावाद, थाना–सारठ, थाना सं०–557, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **शहरजोरी मोड़ (एम०डी०आर०–222 पर)–आसनबनी–अलगबरा–दुमदुमी–दनरबाद–करौं तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम– सतुवावाद, थाना–सारठ, थाना सं०–557, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.34** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	62	रैयती	धानी–3	0.02	लुरघु महतो वो एकान्त महतो पे० स्व० नगदी महतो सा०देह।	सोलियाचक, 556	सोलियाचक, 556	अर्जित रकवा का अंश	सोलियाचक, 556
2	2	98	रैयती	धानी–3	0.01	तुफानी महतो पे० स्व० अमीन महतो सा०देह।				
3	2	99	रैयती	धानी–3	0.005	तथैव।				
4	4	51	रैयती	धानी–3	0.02	अंग्रेज महतो पे० स्व० हुलास महतो सा०देह।				
5	5	63	रैयती	धानी–3	0.02	गनेश महतो पे० स्व० जयलाल महतो वो वो मदन महतो पे० बद्री महतो वो हराधन महतो पे० स्व० दर्शन महतो वो ढेला देवी पे० स्व० पुरन महतो वो धीरेन महतो वो विरेन महतो पे० स्व० देबु महतो वो अरूण महतो वो बौधी महतो वो असरेश महतो वो नुनुलाल महतो पे० डहरू महतो वो भगीरथ महतो पे० स्व० दारू महतो वो नारायण महतो पे० यदु महतो सा०देह।				
6	6	3	रैयती	बाड़ी–2	0.18	बद्री महतो वो दुखी महतो पे० स्व० जोधन महतो वो मदन महतो पे० स्व० बेगरू महतो वो सहर महतो पे० स्व० बाबुलाल महतो वो मुन्ना महतो वो राजेश महतो पे० स्व० जहर महतो वो फुलू महतो वो तितु महता पे० स्व० मोहन महतो वो वदन महतो वो सुकदेव महतो पे० जितु महतो आधा अंश सा०देह।				
7	7	66	रैयती	धानी–3	0.005	महादेव महतो वो सतीश महतो पे० स्व०				

						तुलसी महतो वो कलावती देव्या पति स्व० सरयु महतो सा०देह।				
8	8	69	रैयती	धानी–3	0.005	सुगया देवी वो सागी देवी वो गैनीया देवी वो भादु देवी पे० स्व० विष्टु महतो आधा अंश सा०देह।				
9	9	49	रैयती	बाड़ी–2	0.06	कोड़ी महतो वो माधो महतो पे० स्व० इशर महतो वो किशु महतो पे० स्व० जगदीश महतो वो एतवारी महतो पे० स्व० भलु महतो आधा अंश वो भुवनेश्वर यादव पे० स्व० लम्बोदर महतो वो विनोद महतो पे० स्व० समलाल महतो आधा अंश सा०देह।				
10		64	रैयती		0.015	मुस्तवाहा				
				कुल रकवा–	**0.34**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर   अपर समाहर्त्ता, देवघर   समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 1364/भू अ०, देवघर, दिनांक 15/10/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर   अपर समाहर्त्ता, देवघर   समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।